



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 349 राँची, गुरुवार, 15 श्रावण, 1942 (श०)
6 अगस्त, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

5 अगस्त, 2020

विषय : परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची का सरकारी वाहन टाटा सूमो विकटा, गाड़ी संख्या- JH01AD-0009 की चोरी होने एवं तदजनित सरकारी राशि के अपलेखन (Write off) के संबंध में।

संख्या-परि०आ०-5162/2009-1889--श्री भूषण पासवान, (तदेन उप सचिव, परिवहन विभाग), सम्प्रति सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची को सरकारी कार्यों के व्यवहारार्थ विभागीय वाहन टाटा सूमो विकटा, गाड़ी संख्या-JH01AD-0009 आवंटित की गई थी। उक्त वाहन श्री पासवान के निवास स्थान क्वाटर सं०-D6/6, सचिवालय कॉलोनी, हिनू, राँची के परिसर से दिनांक-04.04.2018 की संध्या करीब 06:45 बजे से दिनांक-05.04.2018 के सुबह करीब 08:30 बजे के बीच चोरी हो गयी। वाहन चोरी उपरांत कांड इतिहास निम्नवत् है:-

(i) मो० सबीरूल हक, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची में तदेन चलन्त दस्ता सिपाही (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के रूप में पदस्थापित थे एवं श्री भूषण पासवान, तत्कालीन उप सचिव, परिवहन

विभाग, झारखण्ड, राँची के चालक के रूप क्रियाशील थे। मो0 हक के द्वारा दिनांक-05.04.2018 को लिखित आवेदन थाना प्रभारी, डोरंडा थाना, राँची को सरकारी वाहन टाटा सूमो विक्टा, गाड़ी संख्या-JH01AD-0009 के चोरी होने की FIR दर्ज की गई।

(ii) श्री भूषण पासवान द्वारा उनके सरकारी आवास क्वार्टर सं0-D6/6, सचिवालय कॉलोनी, हिनू, राँची के परिसर से दिनांक-04.04.2018 की संध्या करीब 06:45 बजे से दिनांक-05.04.2018 के सुबह करीब 08:30 बजे के बीच गाड़ी चोरी होने संबंधी आवेदन, FIR की छायाप्रति एवं विभागीय पत्र की प्रति संलग्न कर सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को संबोधित आवेदन दिनांक-06.04.2018 को समर्पित किया गया है।

तत्पश्चात विभागीय स्तर पर विभागीय पत्रांक-302, दिनांक-05.04.2018 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को डोरंडा थाना कांड सं0-74/18, दिनांक-05.04.2018, भा0द0वि0-379 की छायाप्रति संलग्न कर वाहन की बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक-327, दिनांक-17.04.2018, पत्रांक-407, दिनांक-21.05.2018, पत्रांक-1008, दिनांक-30.10.2018 एवं पत्रांक-1181, दिनांक-26.12.2018 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को स्मारित भी किया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक-80, दिनांक-18.01.2019 द्वारा महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची को चोरी हुई वाहन की बरामदगी हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिये पत्राचार किया गया।

FIR की प्रति डोरंडा थाना कांड सं0-74/18, दिनांक-05.04.2018 भा0द0वि0-379 दर्ज की गयी है। उक्त FIR के आलोक में पु0नि0-सह-थाना प्रभारी, डोरंडा थाना, राँची एवं अनुसंधान पदाधिकारी, डोरंडा थाना, राँची द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन “सत्य सूत्रहीन” बताया गया है।

(iii) क्रय किये गये टाटा सूमो विक्टा से संबंधित विपत्र में सन्निहित राशि रु0 478345/- (चार लाख अठहत्तर हजार तीन सौ पैतालीस रुपये मात्र) है एवं अधिकृत विक्रेता वासूदेव ऑटो लिमिटेड, टाटा मोटर्स, कोकर, राँची द्वारा दिनांक-30.10.2018 को दिनांक-04.04.2018 के आलोक में वाहन की कीमत लगभग रु0 60,000/- (साठ हजार) बतलाई गयी है।

(iv) श्री पासवान द्वारा दिनांक-20.05.2019 को सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी डोरंडा के FRT No.-188/2018, दिनांक-20.10.2018 तथा अनुमंडल न्यायादण्डाधिकारी, सदर कोर्ट, राँची के GR 1980/18 डोरंडा 74/18 के अंतिम प्रपत्र रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई संबंधी आवेदन समर्पित किया गया है।

(v) ध्यातव्य हो कि श्री भूषण पासवान, तत्कालीन संयुक्त सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची दिनांक-30.09.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

2. वित्त नियमावली के नियम 63 (क) के अनुसार-व्यक्ति विशेष के छल-कपट का असावधानी अथवा दूसरे कारणों से हुई सामग्री या लोक धन को हानि की न वसूल हो सकने वाली रकम सरकार अंतिम रूप से अपलिखित कर (बट्टे खाते लिख) सकती है।

3. अतः झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 63 (क) के अन्तर्गत श्री भूषण पासवान, तत्कालीन उप सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के उपयोग हेतु आवंटित सरकारी वाहन टाटा सूमो विक्टा, गाड़ी

संख्या-JH01AD-0009 की चोरी होने पर वाहन की depreciated value ₹0 60000/-, (साठ हजार रुपये मात्र) को अपलिखित करने की स्वकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-22.07.2020 में मद संख्या-24 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

के० रवि कुमार

सचिव,

परिवहन विभाग
